



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]	नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 15, 2019/पौष 25, 1940
No. 32]	NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 15, 2019/PAUSHA 25, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2019

सं. 1/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 33(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1305(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 48/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 18 अक्तूबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी के स्तंभ (2) में क्रम सं. 1 के सामने प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस प्रकार पूर्ति किए गए माल का उपयोग, जब निर्यात, ऐसे निर्यातों के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के पश्चात् पहले ही कर दिया गया हो, कराधेय माल (शून्य दर या पूर्णतः छूटप्राप्त माल से भिन्न) के विनिर्माण और पूर्ति में किया जाएगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र, केन्द्रीय माल और सेवा कर के

अधिकारिता वाले आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, ऐसी पूर्ति के छह मास के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया हो, :

परंतु यह और कि यदि निर्यात माल के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया गया है तो ऐसा प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं होगा। ”;

(ii) स्पष्टीकरण में क्रम संख्या 1 के सामने “पूर्व आयात आधार पर” शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा.सं.20/06/17/2018-जीएसटी (भाग क)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना सं. 48/2017 -केन्द्रीय कर, तारीख 18 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1305 (अ) तारीख 18 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2019

No.1/2019-Central Tax

G.S.R. 33(E).— In exercise of the powers conferred by section 147 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 48/2017-Central Tax dated the 18th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R 1305(E) dated the 18th October, 2017, namely:—

In the said notification,

(i) In the Table, the column number (2) against S. No.1, after the entry, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that goods so supplied, when exports have already been made after availing input tax credit on inputs used in manufacture of such exports, shall be used in manufacture and supply of taxable goods (other than nil rated or fully exempted goods) and a certificate to this effect from a chartered accountant is submitted to the jurisdictional commissioner of GST or any other officer authorised by him within 6 months of such supply,:

Provided further that no such certificate shall be required if input tax credit has not been availed on inputs used in manufacture of export goods.”;

(ii) In the Explanation against serial number 1 the words “on pre-import basis” shall be omitted.

[F. No. 20/06/17/2018-GST (Pt. I)]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.

Note:- The principal notification No. 48/2017-Central Tax dated 18th October, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R 1305(E), dated the 18th October, 2018.